Speech of Hon'ble Mr. Justice Vijender Jain, Chief Justice, Punjab & Haryana High Court at the Inaugural function of Permanent Lok Adalat (Public Utility Services) at Ambala on 29.4.2007

पंजाब एंव हरियाणा हाई कोर्ट के माननीय Justice आदर्श कुमार गोयल, Justice Saron, Justice Mahesh Grover, Justice Bindal and Justice Nawab Singh. हमारे District & Sessions Judge, Deputy Commissioner, other Judicial Officers, बहनों और भाईयों। अम्बाला में लोक अदालत sanction हुये काफी अरसा हो गया था। मेरे पास जब गोयल साहब आये तो मैंने पूछा कि आपने अम्बाला में लोक अदालत क्यों नहीं लगाई है तो उन्होंने कहा साहब हमको कोई Officer नहीं मिल रहा है। जो हमारे उस समय Registrar General थे उन्होंने कहा कि साहब अम्बाला में तो लोक अदालत जरूर होनी चाहिए और वहां पर बहुत अच्छे officers हैं, ईमानदार officers हैं। उन्होंने नाम दिये। उसके बाद किसी ने हमको कहा कि साहब उनकी तो उमर ज्यादा है तो मैंने कहा कि old is gold, अनुभव बहुत ज्यादा है और अगर अनुभव ज्यादा है तो लोक अदालत को चलाने के लिए जो सक्षमता उनके अन्दर होगी वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं होगी। और तीसरी एक ओर बात, लोक अदालत के अन्दर जो हम honorarium देते हैं वो honorarium तो कुछ नहीं है। तो जिस व्यक्ति को कार्य करने की इच्छा है उससे age का कोई सम्बन्ध नहीं होता है। कई लोग तो जवानी के अन्दर बूढ़े हो जाते हैं। तो age के साथ दिमाग का कोई

सम्बन्ध नहीं है। जब sanctity जो है वो एक young आदमी में भी हो सकती है। तो हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे यहां पर तीनों जो लोक अदालत को preside करने वाले officers हैं वो बड़े नेक, ईमानदार, अनुभवी और परिश्रमी हैं। मैं अम्बाला की जनता को, यहां पर आया मुझे नहीं मालूम था कि गोयल साहब ने यहां पर भाषण का भी कार्यक्रम रखा हुआ है क्योंकि मैं यहां पर जो lawyers legal aid के हैं, से interaction करना चाहता था। यहां पर लोक अदालत का, Permanent Lok Adalat स्थापित होने से जो पांच Public utility services हैं, पानी, बिजली, transport, hospital और insurance services हैं। पांच services के बारे में जो लोंगों को proper न्यायालय में जाना पड़ता था उसकी बजाये वो लोक अदालत में बैठ कर अपने मुकदमों को, अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं। सबसे बड़ा advantage जो लोक अदालत का है कि लोक अदालत के फैसले के बाद कोई अपील नहीं और उसमें ज्यादातर न कोई आदमी जीतता है न कोई पार्टी हारती है। यहां पर जो हमारे वकील साहिबान बैठे हैं, आज ज्यादातर तो वो हैं जिनका Legal Services Authority के साथ तालुक है पर जो Bar के President हैं या जो हमारे दूसरे वकील साहिबान हैं, जिले में जो literacy rate है वो अभी अभी मुझे बताया Deputy Commissioner साहब ने वो 55% और 56% के करीब है। मैं आपको इस बात की जो वकील साहिब हैं को गारंटी देता हूं जैसे जैसे देश में साक्षरता बढ़ेगी वैसे वैसे मुकदमें बढ़ेंगे। तो किसी वकील को डरने की जरूरत नहीं है कि लोक अदालत में मुकदमें जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा। क्योंकि जितना जितना नागरिकों को अपने अधिकारों का पता लगेगा उतना

उतना जो court हैं अपने grievance के लिए अपने rights के लिए लोग कचहरियों में जायेंगे। मैं हरेक जगह बताता हूं कि अभी तो मुकदमों की संख्या डाई करोड़ है, जब की भारत में जो literacy rate है total सब जगह का मिलाकर के 50 और 52 % है। जिस दिन 90% literacy rate हो जायेगा तो मुकदमों की संख्या बढ़ कर 10 करोड़ हो जायेगी। क्योंकि हर आदमी को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिऐ कोर्ट के पास जाना पड़ता है, कैसे खत्म करें, कैसे रोके जिससे कि न्यायिक प्रणाली के उपर जो बोझ already है वो कम हो जायेंगे। मैं चाहता हूं यहां पर प्रशासनिक अधिकारियों से अपने न्यायिक अधिकारियों से यहां के Inspecting Judge साहब से एक विषय जो मैंने 2007 में हरियाणा के अन्दर शुरू किया है, अम्बाला और अम्बाला के लोगों के लिये भ्रूण हत्या और sex ratio कुरूक्षेत्र के बाद सबसे कम है। आप लोगों के लिए एक कंलक की बात है। 780 बच्चियां का अनुपात है यहां 1000 बच्चों का, लड़कों का, उस दिशा में यंहा पर कुछ कार्य करें, कोई यहां पर एक seminar आयोजित करें, लोगों को sensitize करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस कार्यक्रम में मैं फिर हाजिर होऊंगा।

बहुत बहुत धन्यावाद।